

## राजस्थान राज—पत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 15, शुक्रवार, शार्क 1939— मई 5, 2017 Vaisakha 15, Friden, Saka 1939-May 5, 2017

भाग 4 (क)

राजरथान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) तिभाग

(ग्रुप—2) अधिसूचना

जयपुर, मई 05, 2017

संख्या प. 2 (20) दिघि/2/2017 :-- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमित दिनांक 4 मई, 2017 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:--

कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 15)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 मई, 2017 को प्राप्त हुई)

कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।
  - (2) यह तुरन्त प्रवृत होगा।
- 2. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 11 का संशोधन.- कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 14) की विद्यमान धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- "11. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में

आचार्य के रूप में न्युनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष गद धर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है।

- (3) कुलपति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन सिमिनि दारा सिफाणिश किये गये पैनल में सिम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य अवस्त के पराधर्श से, कुलाधिपतिं द्वारा नियुक्त किया जायेगा-
  - (क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;
  - (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक टयितः;
  - (ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्तिः और
- (घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिदेशित एक टयिक, और वृज्यिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।
- (4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा।
- (5) खोजबीन समिति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए करा से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और सिफारिश करेगी!
- (6) कुलपति के चयन के प्रयोजन के लिए, खोजबीन समिति किसी लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन, और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को, उचित महत्व देगी और इसके निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ रखेगी।
- (7) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुननियात का जन होगा।

- (8) कुलपति, ऐसा वेतन और भते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुराज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलिध्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।
- (9) जब कुलपित के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदाविध समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपित द्वारा, उप-धारा (3) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उपके द्वारा, उप-धारा (10) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।
- (10) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (9) के अधीत कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलिधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपित के पद के कृत्यों के, राज्य-विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपित द्वारा. निर्वहन के लिए इंतजाम करेगा।
- (11) कुलपित किसी भी समय पद का त्याग, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो. कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपित को प्रस्तुत करके, कर संवेग्या।
- (12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।
- (13) जहां, कुलपित के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।
- (14) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

- (15) कुलपति, ऐसी दरों पर जो बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भते का हकदार होगा।
  - (16) कुलपति, निभ्नानुसार छट्टी का हकदार होगा:-
    - (क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी; और
    - (ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अध्वैतनिक छट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।

- (17) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक, प्रशासनिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलाप का समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा। उसे ऐसी समस्त शक्तियां होंगी जो इस अधिनियग और परिनियमों के उपबंधों के सही-सही अनुपालन के लिए आवश्यक हों।
- (18) कुलपति को, जहां तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो, ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जिससे ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग या ऐसे किसी भी कृत्य का पालन हो जिसका प्रयोग या पालन किसी भी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किया जाये:

परन्तु ऐसी कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए की जायेगी जो उस विषय पर सामान्य अनुक्रम में कार्यवाही करताः

परन्तु यह और कि यदि वह कार्रवाई, जिसकी कि इस प्रकार रिपोर्ट की गयी है, बोर्ड से इतर ऐसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित न की जाये तो वह विषय बोर्ड को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा और बोर्ड के ही ऐसा प्राधिकरण होने की दशा में वह विषय कुलाधिपति को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(19) कुलपति, इस बात का समाधान हो जाने पर कि किसी भी प्राधिकरण द्वारा की गयी कोई भी कार्रवाई या आदेश विश्वविद्यालय के हित में नहीं है या ऐसे प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर है, प्राधिकरण से उसकी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने की अपेक्षा कर सकेगा। यदि प्राधिकरण उस तारीख से, जिसको कि कुलपति ने ऐसी अपेक्षा की

\*:

है, साठ दिवस के भीतर-भीतर अपनी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने से इन्कार कर देता है या इसमें असफल रहता है तो वह विषय अंतिम विनिश्चय के लिए बोर्ड या, यथास्थिति, क्लाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा।"।

> मनोज कुमार व्यास, प्रमुख शासन सचिव।

## LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, May 5, 2017

No. F. 2 (20) Vidhi/2/2017.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Kota Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (2017 ka Adhiniyam Shankhyank 15):-

## (Authorised English Translation) THE UNIVERSITY OF KOTA (AMENDMENT) ACT, 2017

(Act No. 15 of 2017) (Received the assent of the Governor on the 4th day of May, 2017)

Act

further to amend the University of Kota Act, 2003.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

- 1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the University of Kota (Amendment) Act, 2017.
  - (2) It shall come into force at once.
- 2. Amendment in section 11, Rajasthan Act No. 14 of 2003.- For the existing section 11 of the University of Kota Act, 2003 (Act No. 14 of 2003), the following shall be substituted, namely:-
- "11. Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University.
- (2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is a distinguished academician having a minimum of ten years experience as Professor in a University or

collage or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

- (3) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government from amongst the persons included in the panel recommended by the Search Committee consisting of -
  - (a) one person nominated by the Board;
  - (b) one person nominated by the Chairman, University Grants Commission;
  - (c) one person nominated by the Chancellor; and
- (d) one person nominated by the State Government, and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.
- (4) An eminent person in the sphere of higher education not connected with the University and its colleges shall only be eligible to be nominated as the member of the Search Committee.
- (5) The Search Committee shall prepare and recommend a panel of not less than three persons and not more than five persons to be appointed as Vice-Chancellor.
- (6) For the purpose of selection of the Vice-Chancellor, the Search Committee shall invite applications from eligible persons through a public notice and while considering the names of persons to be appointed as Vice-Chancellor, the Search Committee shall give proper weightage to academic excellence, exposure to the higher education system in the country, and adequate experience in academic and administrative governance and record its findings in writing and enclose the same with the panel to be submitted to the Chancellor.
- (7) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

- (8) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.
- (9) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor

in accordance with sub-section (3), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (10).

- (10) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (9), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on of the function of the office of the Vice-Chancellor by any other Vice-Chancellor of a State University
- (11) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.
- (12) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.
- (13) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he may continue to contribute to the provident fund of which he was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.
- (14) Where the Vice-Chancellor had been in his previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.
- (15) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.
- (16) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-
  - (a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and
  - (b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.

(17) The Vice-Chancellor shall be the principal academic, administrative and executive officer of the University and shall exercise overall supervision and control over the affairs of the University. He shall have all such powers as may be necessary for true observance of the provisions of this Act and Statutes.

(18) The Vice-Chancellor shall, where immediate action is called for, have power to make an order so as to exercise any power or perform any function which is exercised or performed by any Authority under this Act or the Statutes:

Provided that such action shall be reported to the Authority as would have in the ordinary course dealt with the matter for approval:

Provided further that if the action so reported is not approved by such Authority not being the Board, the matter shall be referred to the Board, whose decision shall be final and in case of the Authority being the Board, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

(19) The Vice-Chancellor may, on being satisfied that any action taken or order made by any Authority is not in the interest of the University or beyond the powers of such Authority, require the Authority to review its action or order. In case the Authority refuses or fails to review its action or order within sixty days of the date on which the Vice-Chancellor has so required, the matter may be referred to the Board or to the Chancelior, as the case may be, for final decision.".

> मनोज क्मार व्यास, Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.